परिशिष्ट

VII

अन्य सम्बद्ध संशोधन अधिनियमः एक नजर में
(Allied Amending Acts at a Glance)

अधिनियम का नाम तथा वर्ष	संविधान के संशोधित प्रावधान
असम (परिसीमा परिवर्तन) अधिनियम 1951	असम राज्य की परिसीमा में परिवर्तन किया गया, जिसके तहत राज्य के भूभाग को भूटान राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया।
आंध्र राज्य अधिनियम, 1953	मद्रास प्रांत के तेलुगू भाषी क्षेत्रों को अलग करके भाषाई राज्य आंध्र अस्तित्व में आया। आंध्र राज्य की राजधानी कुरनूल बनाई गई जबकि गुंटूर में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई।
लुशाई पर्वतीय जिला (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 1954	लुशाई पर्वतीय जिले का मिजो जिले के रूप में पुनः नामकरण किया गया। लुशाई पर्वतीय जिला असम के जनजातीय क्षेत्रों के छह वर्ष स्वशासी जिलों में से एक था जो कि संविधान की छठी अनुसूची में वर्णित है।
हिमाचल प्रदेश तथा बिलासपुर (नया राज्य) अधिनियम, 1954	पहले से वर्तमान हिमाचल प्रदेश तथा बिलासपुर का विलय करके हिमाचल प्रदेश राज्य का निर्माण।
चंदरनगोर (विलय) अधिनियम, 1954	चंदरनगोर (फ्रांसीसी भारत के पूर्व अंतःक्षेत्र) के भूभाग का पश्चिम बंगाल राज्य में विलय।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956	अनेक राज्यों की परिसीमाओं में परिवर्तन किया गया जिससे कि भाषाई, क्षेत्रीय एवं स्थानीय आकांक्षाओं की पूर्ति की जा सके। इसके अंतर्गत 14 राज्य तथा 6 केन्द्र शासित प्रदेश सृजित हुए। राज्य थे–आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल। केन्द्रशासित प्रदेश थे– अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लकादिव, मिनीकॉय

अधिनियम का नाम तथा वर्ष	संविधान के संशोधित प्रावधान
	एवं अमीनीदीवी द्वीप समूह, मणिपुर एवं त्रिपुरा। केरल नाम का नया राज्य त्रावणकोर-कोची राज्य को मद्रास राज्य के मालाबार जिले तथा दक्षिण कन्नड़ के कसर गोड को मिलाकर बना। हैदराबाद के तेलुगूभाषी क्षेत्रों को आंध्र प्रदेश से मिलाकर आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया पुनः मध्य भारत राज्य, विंध्य प्रदेश राज्य तथा भोपाल राज्य को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य बनाया गया। उसी प्रकार बम्बई राज्य में सौराष्ट्र राज्य और कच्छ राज्य को मिला दिया गया। कूर्ग राज्य को मैसूर राज्य, में, पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्यों के संघ (पेप्सू) को पंजाब में तथा अजमेर को राजस्थान में मिला दिया गया। इसके साथ ही एक नया केन्द्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप भी अस्तित्व में आया। इसमें से मिनीकॉय तथा अमीनीदीव द्वीपों को मद्रास राज्य से अलग कर दिया गया।
बिहार एवं पश्चिम बंगाल (भूभाग हस्तांतरण) अधिनियम, 1956	इसके माध्यम से बिहार राज्य के कुछ भूभागों को पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित किया गया
राजस्थान एवं मध्य प्रदेश (भूभाग हस्तांतरण) अधिनियम, 1959	इसके माध्यम से राजस्थान राज्य के कुछ भूभागों को मध्य प्रदेश राज्य को हस्तांतरित किया गया।
आन्ध्र प्रदेश एवं मद्रास (परिसीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1959	आन्ध्र प्रदेश तथा मद्रास राज्यों की परिसीमाओं में परिवर्तन किया गया।
बम्बई (पुनर्गठन) अधिनियम, 1960	बम्बई के गुजराती भाषी क्षेत्रों को मिलाकर गुजरात नामक नया राज्य (15वाँ राज्य) अस्तित्व में आया जबकि बम्बई राज्य का शेष को महाराष्ट्र राज्य नाम दिया गया, अहमदाबाद को नये गुजरात राज्य की राजधानी बनाया गया।
अर्जित भूभाग (विलय) अधिनियम, 1960	भारत और पाकिस्तान को सरकारों के बीच 1958 तथा 1959 में हुए समझौतों के अनुसार पाकिस्तान से अर्जित भूभागों का असम, पंजाब तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में विलय कराया गया।
नगालैण्ड राज्य अधिनियम, 1962	नगालैण्ड के रूप में नये राज्य (16वें राज्य) का निर्माण असम के नगा पर्वतीय क्षेत्रों–ट्वेनसंग क्षेत्र को निकालकर किया गया। नगा पर्वतीय क्षेत्र-त्येनसंग क्षेत्र संविधान की छठी अनुसूची में वर्णित असम राज्य का जनजातीय क्षेत्र था।
पंजाब (पुनर्गठन) अधिनियम, 1966	इसके द्वारा पंजाब के हिन्दी भाषी क्षेत्रों को अलग कर हरियाणा नामक नया राज्य (17वाँ राज्य) बनाया गया। इसके अतिरिक्त चंडीगढ़ को नया केन्द्रशासित प्रदेश बनाने के साथ-साथ इसे पंजाब और हरियाणा की साझी राजधानी भी बनाया गया।
बिहार एवं उत्तर प्रदेश (परिसीमा परिवर्तन) अधिनियम 1968	बिहार तथा उत्तर प्रदेश राज्यों की परिसीमाओं में परिवर्तन किया गया।
आंध्र प्रदेश एवं मैसूर (भूभाग हस्तांतरण) अधिनियम 1968	मैसूर राज्य के कुछ भूभागों का आंध्र प्रदेश राजय को हस्तांतरित किया गया।
मद्रास राज्य (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 1968	मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया।
पश्चिम बंगाल विधान परिषद (उन्मूलन) अधिनियम, 1969	पश्चिम बंगाल राज्य की विधान परिषद का उन्मूलन कर दिया गया।

अधिनियम का नाम तथा वर्ष	संविधान के संशोधित प्रावधान
पंजाब विधान परिषद (उन्मूलन) अधिनियम 1969	पंजाब राज्य की विधान परिषद का उन्मूलन कर दिया गया।
असम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969	असम राज्य के अंतर्गत मेघालय नामक एक स्वशासी राज्य (उप राज्य) का गठन किया गया।
हिमालय प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970	हिमाचल प्रदेश को केन्द्रशासित प्रदेश के दर्जे से उठाकर राज्य (18वाँ) का दर्जा प्रदान किया गया।
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971	मणिपुर और त्रिपुरा-दो केन्द्रशासित प्रदेशों को राज्य (19वां एवं 20वाँ) का दर्जा प्रदान किया गया। इसके साथ मेघालय को भी पूर्ण राज्य का दर्जा (21वाँ राज्य) प्रदान कर दिया गया जो कि पहले असम के अंतर्गत उप-राज्य की हैसियत में असम के भूभाग में से मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश नामक दो केन्द्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया।
केन्द्रशासित प्रदेश सरकार (संशोधन) अधिनियम, 1971	संविधान की छठी अनुसूची में संशोधन किया गया जिससे कि केन्द्रशासित प्रदेश मिजोरम के स्वशासी क्षेत्रों तथा स्वशासी जिलों के सम्बन्ध में प्रावधान किए जा सकें।
मैसूर राज्य (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 1973	मैसूर राज्य का नाम परिवर्तित कर कर्नाटक कर दिया गया।
लकादीव, मिनीकॉय एवं अमीनीदीवी द्वीप समूहों (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 1973	लकादीव, मिनीकॉय तथा अमीनीदीवी द्वीप समूह केन्द्र शासित प्रदेश का नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया।
निरस्त एवं संशोधन अधिनियम 1974	कुछ अधिनियम का निरस्त (निरस्त) कर दिया गया तथा कुछ में संशोधन किए गए। संविधान की छठी अनुसूची में 'Cattle pound' को 'cattle pond' से प्रतिस्थापित किया गया।
संविधान की पाँचवी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 1976	भारत के राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की गई कि-(i) किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्र को राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर विस्तारित किया जा सके, (ii) किसी राज्य के किसी भू भाग को अनुसूचित क्षेत्र नामित करने सम्बन्धी आदेश को रद्द किया जाए, अथवा राज्यपाल के परामर्श पर उस भू-भाग को पुनर्परिभाषित किया जाए जिसे कि अनुसूचित क्षेत्र बनाया जाना है।
हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश (परिसीमा परिवर्तन) अधिनियम 1979	इसके माध्यम से हरियाणा और उत्तर प्रदेश की परिसीमाओं में परिवर्तन किया गया।
आंध्र प्रदेश विधान परिषद (उन्मूलन) अधिनियम 1985	आंध्र प्रदेश राज्य की विधान परिषद का उन्मूलन कर दिया गया।
मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986	मिजोरम को केन्द्रशासित प्रदेश के दर्जे से उठाकर राज्य का दर्जा प्रदान किया गया।
तमिलनाडु विधान परिषद (उन्मूलन) अधिनियम 1986	तमिलनाडु राज्य की विधान परिषद का उन्मूलन कर दिया गया।
अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986	अरुणाचल प्रदेश को केन्द्रशासित प्रदेश के दर्जे से उठाकर इसे राज्य (24वें राज्य) का दर्जा प्रदान किया गया।

अधिनियम का नाम तथा वर्ष	संविधान के संशोधित प्रावधान
गोवा, दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1989	गोवा को गोवा, दमन एवं दीव केन्द्रशासित प्रदेश में से अलग कर 25वाँ राज्य बनाया गया।
संविधान की छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 1986	संविधान की छठी अनुसूची में त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से संदर्भित प्रावधानों में संशोधन किया गया: (i) राज्यपाल अपने कुछ कार्यों को स्वविवेक के अनुसार निष्पादित करेंगे, (ii) संसद तथा राज्य विधायिकाओं के अधिनियमों को स्वायत्त क्षेत्रों एवं जिलों में लागू करने के सम्बन्ध प्रावधान किया गया, तथा (iii) जिला परिषदों को रॉयल्टी के हिस्से के भुगतान की समय सीमा निर्धारित की गई।
संविधान की छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 1995	संविधान की छठी अनुसूची में असम राज्य को संदर्भित कुछ प्रावधानों में संशोधन किए गए: (i) उत्तरी कछार पर्वतीय जिला के लिए जिला परिषद का नामकरण 'उत्तरी कछार पर्वतीय-स्वायत्त परिषद' किया गया। कर्बी-आंगलोंग के लिए गठित जिला परिषद का नामकरण 'कर्बी-आंगलोंग स्वायत्त परिषद' किया गया। (ii) उत्तरी कछार पर्वतीय स्वायत्त परिषद तथा कर्बी-आँगलोंग स्वशासी परिषद को कानून बनाने का अधिकार देने के लिए प्रावधान किया गया (iii) राज्यपाल को अपने विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उत्तरी कछार पर्वतीय स्वायत्त परिषद अथवा कर्बी-आंगलोग स्वायत्त परिषद-जैसी भी स्थिति हो, से परामर्श प्राप्त करना अनिवार्य बनाया गया।
मध्य प्रदेश (पुनर्गठन) अधिनियम, 2000	मध्य प्रदेश राज्य के भूभाग से एक नये राज्य छत्तीसगढ़ (26वाँ राज्य) का गठन किया गया।
उत्तर प्रदेश (पुनर्गठन) अधिनियम, 2000	उत्तर प्रदेश राज्य के भूभाग में से एक नये राज्य उत्तराखंड (27वाँ राजय) का गठन किया गया।
बिहार (पुनर्गठन) अधिनियम, 2000	बिहार राज्य के भूभाग में से एक नये राज्य झारखंड (28वाँ राज्य) का गठन किया गया।
संविधान की छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 2003	असम राज्य को संदर्भित छठी अनुसूची के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया गया ताकि असम में बोड़ो लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति केन्द्र सरकार, असम सरकार तथा बोड़ो लिबरेशन टाइगर्स के बीच 10-2-2003 को हुए समझौते के अनुसार की जा सके। इस संदर्भ में अधिनियम ने निम्नलिखित प्रावधान किए- (i) असम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में बोडोलैण्ड प्रादेशिक क्षेत्र जिला (बोडोलैण्ड टेरिटोरियल एरियाज डिस्ट्रिक्ट) को अनुसूचित किया गया, (ii) असम में एक स्वायत्त स्वशासी निकाय बोडोलैण्ड क्षेत्रीय परिषद (बोडोलैण्ड टेरिटोरियल काउंसिल) का सृजन किया गया, (iii) परिषद को विनिर्दिष्ट मामलों में विधायी, प्रशासकीय तथा वित्तीय अधिकार सौंपे गए, तथा (iv) बोडो क्षेत्रीय परिषद क्षेत्रान्तर्गत गैर-जनजातीय लोगों की सुरक्षा के प्रावधान किए गए।
आंध्र प्रदेश विधान परिषद अधिनियम, 2005	आंध्र प्रदेश राज्य के लिए विधान परिषद का सृजन किया गया।
उत्तरांचल (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006	उत्तरांचल राज्य का नाम परिवर्तित कर उत्तराखंड किया गया।

अधिनियम का नाम तथा वर्ष	संविधान के संशोधित प्रावधान
पांडिचेरी (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006	पांडिचेरी केन्द्र शासित प्रदेश का नाम परिवर्तित कर पुडुचेरी केन्द्रशासित प्रदेश किया गया।
तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम, 2010	तमिलनाडु राज्य के लिए विधान परिषद का प्रावधान किया गया।
उड़ीसा (नाम परिवर्तन) अधिनियम 2011	उड़ीसा राज्य का नाम परिवर्तित कर ओडीशा किया गया।
आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014	तेलंगाना नामक एक नये राज्य (29वां राज्य) का निर्माण आंध्र प्रदेश राज्य के भूभाग से काटकर किया गया। हैदराबाद को दोनों राज्यों की राजधानी बनाया गया है–दस वर्षों की अवधि के लिए। इस अवधि में आंध्र प्रदेश राज्य अपनी अलग राजधानी स्थापित कर लेगा।